न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 56/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. भंवरलाल पुत्र छोगा जाति बावरी निवासी खारची गांव तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29.11.18

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 12/2016 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2016 तथा प्रकरण संख्या 3/2016 सरकार बनाम भंवरलाल में नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.02.2016 को निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया एवं भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना अधिरोपित किया। उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के नाम जो नोटिस जारी किया गया है, वह किसी जेठी पत्नी जीवाराम द्वारा तामील किया गया है, जो अपीलाण्ट की सम्यक् तामील की परिभाषा में नहीं आता है। प्रथम आदेशिका में जो तारीख पेशी अंकित की, उसमें भी कांट छांट है। पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा जो बयान कलमबद्ध करवाए है, उसमें जेठी पत्नी जीवाराम का जैर अपील विवादित आराजी पर अतिक्रमण होना बताया है। इस प्रकार अपीलाण्ट का तथाकथित अतिक्रमण साबित ही नहीं था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र कयासी आधारों पर निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होकर विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उक्त निर्णय की प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु दोनो ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की। अतः उपरोक्त समस्त कारणों को दृष्अिगत रखते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खारची के खसरा नम्बर 622 रकबा 0.0070 बीघा किस्म गै0मु0 नाडा की भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खारची के खसरा नम्बर 622 रकबा 0.0070 बीघा किस्म गै0मु0 नाडा की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का खारची द्वारा नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भंवरलाल पुत्र छोगालाल बावरी द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहवासी पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया है, इस पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 15.02.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त तारीख पेशी तथा इस आदेशिका की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, उसमें अंकित तारीख पेशी में कांट छांट है। उक्त नोटिस जेठी पत्नी छोगाराम से तामील करवाया गया है, किन्तु तामील कुनिन्दा द्वारा यह अंकित ही नहीं किया कि उक्त जेठी आसामी के संयुक्त परिवार में है अथवा नहीं, कुटुम्ब की सदस्य है अथवा नहीं, जो साथ निवास करते हो। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तामीली को पर्याप्त मानते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया तथा जुर्माना आरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा अपने बयान कलमबद्ध करवाए गए है, जिसमें उन्होने जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाकर पक्का मकान निर्माण किया जाना अंकित किया है। जबकि पूर्व में अपीलाण्ट को कब बेदखल किया गया, इसका कोई इन्द्राज नहीं है। इस तथ्य को न तो परीक्षण न्यायालय द्वारा रेखांकित किया एवं न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य को दृष्टिगोचर किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण ही साबित नहीं होता है, तो उन्हे दण्डित किस आधार पर किया गया, यह स्पष्ट ही नहीं है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की अपील खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। उक्त दोनों ही निर्णयों से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त परीक्षण न्यायालय द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विधिवत माना है, जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण ही मौजूद नहीं था, जो जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करता हो तथा न ही ऐसी कोई शहादत उपलब्ध थी, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा हो, जिसे हटाये जाने के बावजूद अपीलाण्ट द्वारा दुबारा कब्जा किया हो, क्योंकि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि से अपीलाण्ट को पूर्व में बेदखल किया गया हो। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 1163 बजरंगा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "सिविल कारवास की सजा से दण्डित करने के लिए तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक था कि पूर्व में आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल किया गया एवं जो बेदखली की कार्यवाही चली, उसके आदेश की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी रेकार्ड पर प्रस्तुत करने, उसके पश्चात् बेदखली के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी रेकार्ड पर लेते एवं उसके आधार पर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर सकते थे, बिना साक्ष्य के ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है। हस्तगत प्रकरण में भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण किसी भी रूप में साबित नहीं होता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है। इस कारण जैर अपील आदेश के जरिये परीक्षण न्यायालय एवं विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील संख्या 12/2016 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2016 तथा प्रकरण संख्या 3/2016 सरकार बनाम भंवरलाल में नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली